रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288] नई दिल्ली, बुधवार, मई 26, 2010/ज्येष्ठ 5, 1932

No. 288] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 26, 2010/JYAISTHA 5, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2010

सा.का.नि. 446(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2002 का अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में सहायक उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सहायक उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केवल वे व्यक्ति जो भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल चिकित्सा मैनुअल, खण्ड-III में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग शेप-I में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रोन्नति और नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोडे गए वर्षो का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नही।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक उप–निरीक्षक (आशुलिपिक)	80* (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित (योधक अनुसचिवीय)	वेतन बैंड–1, 5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2800 रू0	लागू नही होता	लागू नही होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(7)
18 और 25 वर्ष के बीच। 1. केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 5 वर्ष तक और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। 2. विभागीय अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्ष तक और इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए पांच वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए तीन वर्ष आयु शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 1.—** आयु– सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2.—** ऐसे पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिऐट या सीनियर सैंकेंडरी स्कूल प्रमाण–पत्र (10+2) परीक्षा या समतुल्य; (ख) अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति और अंग्रेजी या हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति;	लागू नही होता।	दो वर्ष।

(ग) कम्पयूटर उपयोजन का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए; और

(घ) शारीरिक और चिकित्सा मापदंड निम्नानुसार होंगे:—

(1) **शारीरिक मापदंड:—**

	पुरूष	महिला
ऊंचाई :	170 सें.मी.	157 सें.मी.
शिथिलीकरण:		
गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थी और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर तथा जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के लेह और लद्दाख के अभ्यर्थी	165 सें.मी.	155 सें.मी.
अनुसूचित जनजातियों के सभी अभ्यर्थियों के लिए	162.5 से.मी.	154 सें.मी.

छाती :

	साधारण	अनुसूचित जनजाति
(बिना फुलाए)	80 सें0मी0	77 सें0मी0
(फुलाने पर)	85 सें0मी0	82 सें0मी0

वजन :
चिकित्सा मापदंडों (पुरूषों और महिलाओं के लिए) के अनुसार ऊंचाई और आयु के तद्नरूप।

(2) **चिकित्सीय मापदंड :**

(क) दृष्टि: बिना सुधार, अर्थात् बिना चश्मा या लैंस पहने दोनों आंखों की न्यूनतम दूरी दृश्यता 6/6 और 6/9 होनी चाहिए।
(ख) अभ्यर्थी को संहत जानु (नॉक–नी), चपटा पांव, फूली हुई नसें (वेरीकोस वेन) या भैंगी आंखों वाला नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृश्यता वाला होना चाहिए उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ का और ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन में बाधा आने की संभावना हो।

(3) शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षणों में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)	(12)
सीधे भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उनकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)	(14)
पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :– 1. उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य 3. सहायक कमांडेंट (कार्यालय)/ सहायक कमांडेंट (स्टाफ आफिसर), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल – सदस्य	लागू नही होता।

[फा. सं. 12013/2/2010-संगठन]

एस. सी. शिवाजी राव, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2010

G.S.R. 446(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Sub-Inspector (Stenographer) Group 'C' posts Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Sub-Inspector (Stenographer), Group 'C' post in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :—

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Assistant Sub-Inspector (Stenographer), Group 'C' post, Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**— The number of the said post, its classification and the Pay band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the above said Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc..**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Medical Fitness.**— Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force Manual Volume-III, Medical Manual shall be eligible for promotion and appointment under the provisions of the rules.

6. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

2000 GI/10-2

SCHEDULE

Name of post.	Number of post	Classification.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Sub-Inspector (Stenographer).	80* (2010) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, (Combatant Ministerial).	Pay Band- 1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2800.	Not applicable.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits.
(6)	(7)
Not applicable.	Between 18 and 25 years. 1. Relaxable upto five years in the case of Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidates and three years for Other Backward Classes candidates in accordance with the order issued by the Central Government from time to time. 2. Relaxable upto five years for Departmental candidates and in addition five years age relaxation for Scheduled Caste or Scheduled Tribe and three years for Other Backward Classes. **Note 1.**— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadweep). **Note 2.**— The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits.

(8)

(a) Intermediate or Senior Secondary School Certificate (10+2) examination from a recognised Board or University or equivalent;

(b) Minimum speed of 40 words per minute in English Typewriting or 30 words per minute in Hindi typewriting and a minimum speed of 80 words per minute in shorthand English or Hindi;

(c) Should have basic knowledge of computer application; and

(d) Physical and medical standards shall be as follows:-

(1) **Physical Standards:-**

	Men	Women
Height :	170 cms.	157 cms.
Relaxation : Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.	165 cms.	155 cms.
All candidates belonging to the Scheduled Tribes:	162.5 cms.	154 cms.

Chest :

	General	**Schedule Tribes**
(Unexpanded)	80 cms	77 cms
(Expanded)	85 cms	82 cms

Weight: Corresponding to height and age as per medical standards (for males and females).

(2) **Medical Standard.**

(a) Vision: Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing spectacles or lenses.

(b) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

(3) Must qualify the physical efficiency test and written test.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption in grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(12)
Not applicable.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of:- 1. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman 2. Deputy Commandant/ Senior Administrative Officer Indo-Tibetan Border Police Force - Member 3. Assistant Commandant (Office)/ Assistant Commandant (Staff Officer) Indo-Tibetan Border Police Force - Member	Not applicable.

[F. No. 12013/2/2010-Org.]

S. C. SIVAJI RAO, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.